

संक्षिप्त

रिश्तव लेते संविदा कर्मी गिरफ्तार

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टॉक टीम ने कार्रवाई करते हुए जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण कार्यालय टॉक में कार्यरत संविदाकर्मी कम्प्यूटर ऑपरेटर सोनु पंवार को 13 हजार रूपए की रिश्तव लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि परिव्रादी ने मेडिकल स्टोर लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि लाइसेंस प्रक्रिया आगे बढ़ाने के बदले आरोपित सोनु पंवार लगातार रिश्तव मांग कर परिव्रादी को परेशान कर रहा था। शिकायत मिलने पर एसीबी ने मामले का सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान आरोपित ने पहले 1.5 हजार रूपए रिश्तव की मांग की। परिव्रादी द्वारा राशि कम करने की बात कहने पर 1.3 हजार रूपए में सौदा तय हुआ। इसके बाद आरोप रैंज के उप महानिदेशक नारायण कुमार के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झाबर मल के नेतृत्व में टैप कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपित सोनु पंवार ने अपने कार्यालय में परिव्रादी से 1.3 हजार रूपए रिश्तव राशि लेकर गिनी और अपनी पैंट की जेब में रख ली। एसीबी टीम को देखते ही आरोपित घबरा गया और रिश्तव की राशि जेब से निकालकर कार्यालय कक्ष के गेट के पास फर्श पर फेंक दी। टीम ने मौके से रिश्तव राशि बरामद कर आरोपित को गिरफ्तार किया।

गुंसी बिजानस माता जी का मेला कल

निवाड़ी/गुंसी। गांव गुंसी में स्थिति बिजानस माता का मेला 9 मई को आयोजित होगा। पुजारी ग्यारसीलाल प्रजापत ने बताया कि 9 मई को माताजी मंदिर पर आयोजित भव्य मेले में व्यवस्थाओं को लेकर मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें मेला समिति का गठन किया गया। समिति सदस्यों को मेले की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने बताया कि मेले की पूर्व संस्था पर 8 मई को मंदिर प्रांगण में रात्रि जागरण का आयोजन होगा।

यादव का भव्य स्वागत

मनोहरपुर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोडी में उस वक्त तालियों की गडगडाहट शुरू उठी जब भाजपा के उपेय यादव अंचल कमिश्नर विद्यालय पहुंच गए। विद्यालय परिवार ने हार्दिक अभिनंदन किया। उपेय यादव ने बच्चों से पूछा, बेटा, बड़ा होकर क्या बनेगें? कोई डॉक्टर, कोई फौजी। वे बोले, सपना बड़ा देखो, फिर मेहनत करो।

स्वोया पाया

मेरा मकान संख्या 76/56-ए, मानसरोवर, जयपुर का ओरिजन नाम हस्तारतकर कार्यालय आदेश क्रमांक DHC-II/1633 दिनांक 16/08/2023 मुझसे कही गुम हो गई है मिलने पर सूचित करें रचना निगम मो.न. 9828516987

मेरा प्लाट नं.-85, Khusar Vistar Yojana सांगानेर जयपुर का मूल कगना पत्र कही गुम हो गया है मिलने पर सम्पर्क करें- 9460059526

मेरी संपत्ति के मूल कागजात मकान नंबर A-4, अमृतपुरी आगरा रोड जयपुर के कही गुम हो गए है मिलने पर सूचित करें -9079537975

अचरोल गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की आवासिय योजना दिवेणी नगर-1, आगरा रोड, जयपुर के भूखण्ड संख्या 4 का सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र, रसीद व साईट प्लान कही खो गये है। मिलने पर सूचित करें। (राम सिंह मीणा 9530042000)

नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की आवासिय योजना डी-नारायण विहार, मदरामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर में स्थित भूखण्ड संख्या 191 क्षेत्रफल 86.67 वर्गज की श्री उमदेद सिंह द्वारा श्रीमती गीता देवी को विक्रय की गई मूल विक्रय पत्र दिनांक 16.01.2012 (चैन ऑफ डॉक्यूमेंट) कही खो गया है। मिलने पर सूचित करें। (श्रीमती रामरखी जगिड 9929858306)

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

जनसमस्याओं का समाधान करे : रामसहाय

निवाड़ी। नगर पालिका में विधायक रामसहाय वर्मा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विधायक रामसहाय वर्मा ने शहर की समस्याओं के त्वरित समाधान

- विधायक ने ली पालिका प्रशासन की बैठक
अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

करने के निर्देश दिए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल समस्या, मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने व लंबित फाइलों के निस्तारण को लेकर बेहद सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए। विधायक वर्मा ने कहा कि शहर के मुख्य चौराहों, बाजारों व संवेदनशील क्षेत्र में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को तुरंत चालू करवाए एवं जहां आवश्यकता हो वहां नए हाई-टेक



विधायक रामसहाय वर्मा ने निवाड़ी नगर पालिका में आयोजित बैठक में अधिकारियों से चर्चा की।

कैमरे लगावाएं। जिससे सुरक्षा व्यवस्था व अपराध नियंत्रण हो सके। उन्होंने अधिशाषी अधिकारी मनोहर उज्जैन व राजस्व टीम को निर्देशित करते हुए कहा कि मुख्य सड़क मार्गों पर अवैध रूप से रखी हुई केबिन, थडियों एवं रोड पर रहे अतिक्रमण

टोंक में थडियां व केबिन हटाने का विरोध

टोंक। नगर परिषद की टीम द्वारा 30 अप्रैल को शहर के बस स्टैंड से डिपो क्षेत्र तक थडियां और केबिन हटाने के विरोध में राजस्थान प्रोग्रेसिव कमेटेटी द्वारा गुरुवार को प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों द्वारा घंटाघर से शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई, नगर परिषद की कार्यवाही का विरोध जताया और कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि चार साल पहले नगर परिषद ने ही आंबटिक्ट की थी, अब अतिक्रमण मानते हुए बिना नोटिस दिए थडियों को हटा दिया। ऐसे में लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है, इधर आयुक्त ने कहा कि सड़क किनारे अवैध निर्माण को हटवाया गया था, पक्का निर्माण कर टीनशेड लगा लिए गए थे। इससे आवागमन में परेशानी हो रही थी, सोसायटी के प्रदेश सचिव एडवोकेट सरताज अहमद ने बताया कि साल 2021 में नगर परिषद ने स्वयं सड़क किनारे थडियां लगाने के लिए जगह आवंटित की थी और इसके लिए कई भी जारी किए गए थे। इसके बावजूद 30 अप्रैल को नगर परिषद की टीम ने जेसीबी से बिना किसी पूर्व नोटिस के थडियों को हटा

जनसुनवाई में कलक्टर ने सुनी आमजन की समस्याएं

भरतपुर (निस)। आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से संचालित त्रि-स्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत गुल्बारा को ठाम पंचायत हथैनी में ग्राम स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जयपुर नगर में जिला कलक्टर कमर चौधरी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी तथा कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर राहत प्रदान की। जनसुनवाई के दौरान लगभग 25 परिवेदाएं/घाट हुईं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशोरूप ग्रामीणों की समस्याओं का समयबद्धता के साथ समाधान कर राहत प्रदान की जाये। उन्होंने सभी अधिकारी को अपने विभागीय लम्बित प्रकरणों को निस्तारित करने की बात कही।

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रशासन अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सभ्यचित व्यक्तियों को मुकदमा नंबर 584/2026

समाज सेवा में स्काउट गाइड अग्रणी : गर्ग

गाइड वार्षिक कार्यक्रम की जानकारी दी। इस अवसर पर स्थानीय संघ सचिव धनू प्रसाद सिंह, शिवसिंह, वेदप्रकाश, सत्य प्रकाश शर्मा, सचिन होलकर, राजवीर सिंह, यादवारा, विनोद कुमार शर्मा, मुरारी लाल शर्मा, मिथिलेश कुमार, सुनील शर्मा, पुरनचंद ने स्थानीय संघ उपस्थित, समाज सेवा कार्यक्रमों, वार्षिक कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 8 मई से गाइड कैम्पन तथा रेंजर लीडर बेसिक कोर्स का आयोजन किया जाएगा जिसमें चयनित गाइड सम्मिलित होकर योग्यता वृद्धि करेंगे।

नोटिस मजूरिये अदालत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रथम, जयपुर

व मुकदमा नंबर 74/25
जय सिंह मुद्दई बनाम सरपंच ग्राम पंचायत नरसिंहपुर व अन्य मुद्दा दायलह बनाम

- 1. सरपंच ग्राम पंचायत नरसिंहपुर, पंचायत समिति सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
2. दीप देवी पत्नी स. हनुमान, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
3. केशव प्रभु हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
4. किरण प्रभु हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
5. राजेश शर्मा पुत्र हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राज।
6. ममता देवी पत्नी हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राज।
7. सीता देवी पत्नी हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राज।
8. रामा देवी पत्नी हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राज।
9. सांभर, जिला जयपुर, राजस्थान।
10. अशोक प्रभु हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राज।
11. अशोक प्रभु हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राज।
12. अशोक प्रभु हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राज।
13. अशोक प्रभु हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राज।
14. अशोक प्रभु हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राज।
15. अशोक प्रभु हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राज।
16. अशोक प्रभु हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राज।
17. अशोक प्रभु हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राज।
18. अशोक प्रभु हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राज।

नोटिस मजूरिये अदालत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रथम, जयपुर

व मुकदमा नंबर 75/25
जय सिंह मुद्दई बनाम सरपंच ग्राम पंचायत नरसिंहपुर व अन्य मुद्दा दायलह बनाम

- 1. सरपंच ग्राम पंचायत नरसिंहपुर, पंचायत समिति सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
2. दीप देवी पत्नी स. हनुमान, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
3. केशव प्रभु हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
4. किरण प्रभु हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
5. राजेश शर्मा पुत्र हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राज।
6. ममता देवी पत्नी हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राज।
7. सीता देवी पत्नी हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राज।
8. रामा देवी पत्नी हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राज।
9. सांभर, जिला जयपुर, राजस्थान।
10. अशोक प्रभु हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राज।
11. अशोक प्रभु हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राज।
12. अशोक प्रभु हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राज।
13. अशोक प्रभु हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राज।
14. अशोक प्रभु हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राज।
15. अशोक प्रभु हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राज।
16. अशोक प्रभु हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राज।
17. अशोक प्रभु हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राज।
18. अशोक प्रभु हुजूमन, निवासी ग्राम सांरंगपुर, ज. सांगानेर, जिला जयपुर, राज।

नोटिस मजूरिये अदालत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रथम, जयपुर

व मुकदमा नंबर 76/26
जय सिंह मुद्दई बनाम सरपंच ग्राम पंचायत नरसिंहपुर व अन्य मुद्दा दायलह बनाम

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रशासन अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सभ्यचित व्यक्तियों को मुकदमा नंबर 585/2026

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रशासन अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सभ्यचित व्यक्तियों को मुकदमा नंबर 49/2026

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
शुक्ति श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी 50, गणेश विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रशासन अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत श्री श्री 1008 शांतिदास महाशय सेवक दूरस्थ कार्यालय पता-92, रूप नगर-2, नगेश नगर गोपालपुरा जयपुर के सम्बन्ध में जोड़ दिए जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अनुप्राध 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शर्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रशासन जिसकी जांच की जा रही है में हिले रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से सात दिन के भीतर उक्त प्रशासन के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निदिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निश्चित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच प्रसिक्त मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।

आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेथी 03.07.2026

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रशासन अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सभ्यचित व्यक्तियों को मुकदमा नंबर 583/2026

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
शुक्ति श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी 50, गणेश विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रशासन अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत श्री श्री 1008 शांतिदास महाशय सेवक दूरस्थ कार्यालय पता-92, रूप नगर-2, नगेश नगर गोपालपुरा जयपुर के सम्बन्ध में जोड़ दिए जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अनुप्राध 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शर्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रशासन जिसकी जांच की जा रही है में हिले रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से सात दिन के भीतर उक्त प्रशासन के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निदिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निश्चित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच प्रसिक्त मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।

आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेथी 10.6.26

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रशासन अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सभ्यचित व्यक्तियों को मुकदमा नंबर 584/2026

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
शुक्ति श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी 50, गणेश विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रशासन अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत श्री श्री 1008 शांतिदास महाशय सेवक दूरस्थ कार्यालय पता-92, रूप नगर-2, नगेश नगर गोपालपुरा जयपुर के सम्बन्ध में जोड़ दिए जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अनुप्राध 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शर्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रशासन जिसकी जांच की जा रही है में हिले रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से सात दिन के भीतर उक्त प्रशासन के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निदिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निश्चित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच प्रसिक्त मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।

आज दिनांक 30/4/26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेथी 3/7/26

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रशासन अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सभ्यचित व्यक्तियों को मुकदमा नंबर 584/2026

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
शुक्ति श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी 50, गणेश विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रशासन अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत श्री श्री 1008 शांतिदास महाशय सेवक दूरस्थ कार्यालय पता-92, रूप नगर-2, नगेश नगर गोपालपुरा जयपुर के सम्बन्ध में जोड़ दिए जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अनुप्राध 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शर्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रशासन जिसकी जांच की जा रही है में हिले रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से सात दिन के भीतर उक्त प्रशासन के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निदिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निश्चित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच प्रसिक्त मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।

आज दिनांक 30/4/26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेथी 9/7/26

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रशासन अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सभ्यचित व्यक्तियों को मुकदमा नंबर 584/2026

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
शुक्ति श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी 50, गणेश विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रशासन अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत श्री श्री 1008 शांतिदास महाशय सेवक दूरस्थ कार्यालय पता-92, रूप नगर-2, नगेश नगर गोपालपुरा जयपुर के सम्बन्ध में जोड़ दिए जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अनुप्राध 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शर्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रशासन जिसकी जांच की जा रही है में हिले रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से सात दिन के भीतर उक्त प्रशासन के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निदिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निश्चित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच प्रसिक्त मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।

आज दिनांक 30/4/26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेथी 9/7/26

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

आम सूचना
सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है, कि अक्टूबर 2026 तक, श्री अजय शर्मा, निवासी नं. 26, गोविन्दपुरी योजना, आमेर रोड, जयपुर राजीवजी सिमा किसी और ब्रह्म लताएं अपने पुत्र अजय शर्मा को दिनांक 06.04.2026 को विनिर्मित करवाए गए, इच्छाचरणा संविदेई करवा दिया है। अजय शर्मा के किसी भी अन्य अधिकार को धृतीने देना एक एक नहीं है। प्लान नं. 26 पर अजय शर्मा का कक्षा इजाजत है। अजय शर्मा के पुत्र अजय शर्मा का अधिकार है।
(कराच हसीन) हस्ताक्षर
मो. नं. 9829797865

नाम परिवर्तन

मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम राज लक्ष्मी गलत दर्ज है। मेरे आधार के अनुसार मेरा सही नाम राज लक्ष्मी शोखावत है। पता: 393-G 1, D, ब्लॉक ऑफिसर्स कैम्प एक्सटेंशन, अंजनी मार्ग, सिरसी रोड, जयपुर

मैं मुकुेश बंसल पुत्र श्री अशोक कुमार, पता- ए-16-ए, महावीर नगर फर्स्ट, जयपुर अपनी पुत्रियों- तनिषा का नाम तनिषा अग्रवाल एवं सान्नी का नाम सान्नी अग्रवाल रखा है। मुकुेश बंसल की जन्मतिथि 12.06.1977 गलत दर्ज है, सही जन्मतिथि 21.05.1977 है।

मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम गजेंद्र सिंह गलत दर्ज है। मेरे आधार के अनुसार मेरा सही नाम गजेंद्र सिंह शोखावत है। पता: 393-G 1, D, ब्लॉक ऑफिसर्स कैम्प एक्सटेंशन, अंजनी मार्ग, सिरसी रोड, जयपुर।

उद्योग (इंस्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुद्रांकक) वाद सं. 9/2026 विषय- उत्तराधिकार प्रमाण- पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना- पत्र।

प्राथी नाम मुकुेश चन्द्र शर्मा पुत्र स्व.श्री गोकुल चन्द्र शर्मा जाति-...
विवाद स्थान प्लॉट नं.9, गायत्री कॉम्प्लेक्स, निम्नर रोड ब्रिज, महारानी कॉम्, दुर्गापुरा, जयपुर मुक्त स्व. श्रीमती कल्याणी देवी लॉकर संख्या 650 की सम्पत्ति के विषय में।

प्रीति दिनांक- 15.5.2026
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्राथी/प्राथीयों ने इस न्यायालय में इस आदेश का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मुक्त, नाम स्व.कल्याणी देवी शर्मा पत्नी श्री मुकुेश चन्द्र शर्मा जाति-... निवासी प्लॉट नं.9, गायत्री कॉम्प्लेक्स, निम्नर रोड ब्रिज, महारानी कॉम्, दुर्गापुरा, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जाये।

अतः उक्त प्राथनी को भी स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 15 मई 05 सन 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करे। उक्त दिवस के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 10 माह 04 सन 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

आशा से
आशा से
आशा से
आशा से

आशा से
आशा से
आशा से
आशा से

हेतुक दर्शित करने के लिये सूचना

(सामान्य प्रश्न)
व्यवहार प्रथिया सहीपत अजयजी संख्या-4 न्यायालय अग्र एव सर्व न्यायाधीष, क्रम-6, जयपुर महानगर (प्रथम), जयपुर सचिनारायण फ्लोड ब्रह्मम

रवि कुमावत व अन्य
वाद / प्रार्थना पत्र अर्जनात आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी.

प्राथना पत्र संख्या 46/2025
नाम (1) श्री कल्याण पुत्र श्री लालचन्द कुमावत, जाति कुमावत, निवासी प्लॉट नंबर 27, तील नगर, नरु सामानेर रोड, सोहावा, जयपुर एवं कल्याण पुत्र, जाति कुमावत, निवासी प्लॉट नंबर 27, तील नगर, नरु सामानेर रोड, सोहावा, जयपुर के बीच विवाद (2) श्रीमती कल्याण कुमावत पत्नी श्री कल्याण सिंह, जाति सिंह, निवासी प्लॉट-31, स्टारडिस्ट कॉलोनी, राम नगर, सोहावा, जयपुर, (3) श्रीमती पूनम कुमावत पत्नी श्री जगदीश कुमावत श्री लालचन्द, जाति कुमावत, निवासी प्लॉट नंबर 27, तील नगर, नरु सामानेर रोड, सोहावा, जयपुर, हाल निवासी 989, राजीव नगर, निम्नर नगर के पास, अमेर रोड, जयपुर उक्त प्राथी ने इस आवेदन पत्र में यह आवेदन किया है कि नवंबर 2025 में, आता आपको बतावानी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरुद्ध सूचित करने के लिये दिनांक 27.05.2026 को 8.00 सुबह में स्वयं या अपने वकील द्वारा लिखे सम्बन्ध रूप से अदेशिका प्रदान करना है, उपर्युक्त नहीं। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ रहेंगे तो उक्त आवेदन को सुनवाई और उसका निस्तारण एक्सप्रेसी रूप से किया जाएगा। यह आज ता.07 माह 05 सन 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर ही है।

आशा से-रवि के प्रथम
आशा से-रवि के प्रथम
आशा से-रवि के प्रथम
आशा से-रवि के प्रथम

उत्तर पश्चिम रेलवे

आवश्यक सूचना
पत्र संख्या- /3502
सर्व सभ्यचित को सूचित किया जाता है कि जयपुर-बांदीकुई सैवधान में खातीपुरा-जातरपुरा स्टेशनों के मध्य स्थित सभापक फाटक संख्या 213 (हेटुनपुरा फाटक) क्रम 826 /17-19 को रेल थप मरम्मत कार्य के लिए दिनांक 08.05.2026 को 04.00 बजे से शाम 10.00 बजे तक पूर्णतः बन्द रहेगा, अतः यद्युक्ति को लिपे के लिये 6/73-CQ/26

वरि.म. इ.जी. (मुख्या) जयपुर

कार्यालय उप